न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.
अपील संख्या 2012/00342 (94/2012) 223 आरटीएक्ट

निजाम पुत्र जला जाति ढाढी सा0 जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. लाधूराम पुत्र जला जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा त0व जिला हनुमानगढ।(फौत)
1/1 कमला पत्नी लाधूराम जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा तह0व जिलां हनुमानगढ
1/2 संतो पुत्री लाधूराम पत्नी नत्थूराम जाति ढाढी साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ
1/3 मदीना पुत्री लाधूराम पत्नी सैनजी जाति ढाढी साकिन चाहूवाला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ
1/4 रोशना पुत्री लाधूराम पत्नी महावीर जाति ढाढी साकिन सतीपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
1/5 भजनलाल पुत्र लाधूराम जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
1/6 बृजलाल पुत्र लाधूराम (फौत)
1/6/1 संतरो पत्नी बृजलाल जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा तह0 ब जिला हनुमानगढ
1/6/2 महबूब पुत्र बृजलाल जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
1/6/3 सेठी पुत्र बृजलाल जाति ढाढी साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
1/6/4 शकीना पुत्री बृजलाल पत्नी कालू जाति ढाढी साकिन धीरबास तहसील तारानगर जिला चुरू
2. देवीलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट सा0 जोरावर पुरा जिला हनुमानगढ
3. भजनलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट सा0 जोरावर पुरा जिला हनुमानगढ
4. सावित्रि बेवा भागीरथ जाति जाट सा0 जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
5. शकीला पुत्री भागीरथ जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली व माता सावित्री बेवा भागीरथ सा0 जोरावर पुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
6. प्रतिमा पुत्री भागीरथ जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली व माता सावित्री बेवा भागीरथ सा0 जोरावर पुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
7. प्रियंका पुत्री भागीरथ जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली व माता सावित्री बेवा भागीरथ सा0 जोरावर पुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
8. इन्द्र सेन पुत्र भागीरथ जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली व माता सावित्री बेवा भागीरथ सा0 जोरावर पुरा तह0 व जिला हनुमानगढ
9. मनसुख पुत्र पीथा जाति जाट साकिन जोरावर पुरा तहसील व जिला हनुमानगढ(फौत)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

9/1 देवीलाल पुत्र मनसुख जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ

9/2 भजनलाल पुत्र मनसुख जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ

9/3 परमेश्वरी पत्नी मनसुख जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ

10. बीरबलराम पुत्र पीथाराम जाति जाट साकिन जोरावर पुरा तह0व जिला हनुमानगढ
11. ज्यानी देवी पुत्री पीथाराम पत्नी रतीराम जाति जाट सा0 नौरंगदेसर तह व जिला हनुमानगढ (फौत)

10/1 परमेश्वरी पत्नी बीरबलराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0 व जिला हनुमानगढ

12. हीरालाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0व जिला हनुमानगढ
13. बंशीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तह0 जिला हनुमानगढ
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ जिला हनुमानगढ
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रातवसर जिला हनुमानगढ

—रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2001 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 47/2001 बअनवानी देवीलाल बनाम भजनलाल

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवदत भिडासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1/1 से 1/5, 1/6/1 से 1/6/4,

श्री देवीलाल भांभू रेस्पोडेण्ट संख्या 2

श्री खुशकरणसिह राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः—09.05.2019

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 10 ता 16 बाहमी बंटवारे का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगते हुए उसी के अनुसार खाता विभाजन कर मृतका गंगा देवी का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का इकबालदावा प्रस्तुत हुआ। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्रस्तुंत होने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अपने भाईयों रजीराम, इन्द्राज व लालचन्द पि0 जला से चक जेड डब्ल्यू एम के खाता संख्या 24/22 के 12 बीघा 8 बिस्वा में 23—13/21 में से 3/4 हिस्सा कमाण्ड भूमि दिनांक 13.06.2000 को खरीद कर ली थी तथा लाधू पुत्र जला रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के चक 3 जेडडब्ल्यूएम में 123/380 में 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 1/4 हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

कमाण्ड व अनकमाण्ड दिनांक 20.05.1993 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भागीरथ पुत्र मनसुख को विक्रय कर दी थी। इस प्रकार क्रेता का कोई हक हिस्सा प्रश्नगत भूमि में नहीं था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को बिना तलब किये सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाण्ट की चक 3 जेडडब्ल्यूएम के पत्थर प. नं. 123/380 (7) के किला नं. 9/1, 12, 19, 22 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का नाम दर्ज करने का आदेश विधि विरूद्ध दिया है। अपीलाण्ट ने अपील में बैयनामा 20.05.93, व 13.06.2000 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की हैं। इसलिए अपील स्वीकार कर अपीलाण्ट की हद तक अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 के वारिसान ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय से लाधू का नाम अभिलेख में विधि सम्मत तरीके से दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया है। अपीलाण्ट ने लाधू की भूमि को हड़प करने की नियत से मिथ्या कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य पक्षकारान की सहमति रही है एवं अधीनस्थ न्यायालय में वादी के दावे का विरोध नही होने एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से सही रूप से दावा डिक्री किया है, जिसको अपीलाण्ट भी चुनौती नहीं दे रहे हैं। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है इसलिए खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने एवं अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील नही होने दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास न किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील प्रस्तुति में हुई देरी को कन्डोन की जाती है एवं अपील अपीलाण्ट भीतर मियाद शुमार की जाती है।

9. अपीलाण्ट ने अपील में यह कथन किये हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लाधूराम का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नही था। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट के साथ साथ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम भी प्रश्नगत भूमि में नाम दर्ज रहने का आदेश पारित कर दिया। अपील में आवेदन पत्र के साथ बैयनामों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है, जिसमें भूमि विक्रय होने के कथनों की ताईद होती है, परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नोटिस आबाद मकान पर चस्पांदगी की रिपोर्ट के साथ संलग्न है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की तामील जरिये चस्पांदगी किये जाने का कोई आदेश प्रदान नही किया था। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस की तामील विधिवत नहीं मानी जा सकती एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उन्हें दावा में जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए था। जहां तक वादी के दावा के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का इकबालदावा दिये जाने का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का वाद डिक्री किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय में कोई सहमति नहीं दी है । अधीनस्थ न्यायालय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्राधिकारी

समक्ष जमाबन्दी सम्वत 2054 चक 4 एचएलएमए खाता संख्या 24 जो बीरबल वल्द पीथा के नाम से है में इंतकाल संख्या 51 से खाता विभाजन का नोट अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 18 में देवी लाल वल्द मनसुख का नाम एकल रूप से दर्ज है जिसमें भी इंतकाल संख्या 51 से खाता विभाजन का नोट अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 11 गंगा बेवा पीथा एकल खातेदार है जिसमें भी इंतकाल संख्या 51 से खाता विभाजन का नोट अंकित है व चक 2 एम खाता संख्या 17 जिसमें गंगा बेवा पीथा का नाम एकल खातेदारी के रूप में दर्ज है। इंतकाल संख्या 74 से खाता विभाजन का नोट है। इसी चक के खाता सं. 28/33 में क्रमशः बीरबल व मनसुख पृथक पृथक दर्ज है जो भी इंतकाल संख्या 74 खाता विभाजन के द्वारा दर्ज होने प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते उपरोक्त अनुसार खाता विभाजन पूर्व में होना प्रतीत होते हैं, तो भी उक्त भूमि को शामिल करते हुए अन्य भूमि के चकों के साथ खाता विभाजन का आदेश पारित किया है। वह पूर्व में हुए खाता विभाजन की सम्पूर्ण जांच किये बिना पारित नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदीयों में पूर्व में हुए खाता विभाजन के नोट के संबंध में बिना कोई अवधारणा पारित किये हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण निर्णय में वादपत्र को पुनः लिखा और इकबाल दावा का अंकन किया। उन्होंने किसी भी दस्तावेज का हवाला नहीं दिया। किसी गवाह का गवाह का हवाला नहीं दिया बल्कि गवाह लिए ही नहीं गये। किसी दस्तावेज को प्रदर्श नहीं किया गया। वादपत्र को अंकित करने के बाद इकबाल जवाब प्राप्त होने के आधार पर दावा डिक्री किया है। यहां तक कि ये भी नहीं देखा कि विवादग्रस्त भूमि वर्तमान में किसके नाम है और इस भूमि का पूर्व में विभाजन हुआ है अथवा नहीं। निर्णय बिना साक्ष्यों के परीक्षण/विश्लेषण किये पुर्णतः सरसरी तौर पर पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलधीन एवं डिक्री दिनांक 30.07.2001 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/5/19

(मूल चन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official